



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.10.2026

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा मानव तस्करी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 11.08.2026 को थाना टीला मोड़ पर वादी फुरकान पुत्र सहरूदीन निवासी शौकीन का मकान गली नं0 04 करन गेट पुलिस चौकी के सामने थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर वादी का नाबालिग 03 माह के बच्चे को एक व्यक्ति जो कि बराबर मे उसी मकान मे किराये पर रहता था, जिसका नाम नौसाद व उसकी पत्नी रुखसार द्वारा चोरी करके अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर अन्तर्गत धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । मैनुअल इनपुट व मुखबि की सूचना के आधार पर थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.08.2026 को प्रकाश में आये अभियुक्त एनुल, नसीम, नौसाद, नागेन्द्र, मौसीना, आविद, रुखसार, सुमित्रा, सितारा को गिरफ्तार कर नाबालिग बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 143(4), 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

आज दिनांक 02.10.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहसिना पत्नी नफीश निवासी रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 36 वर्ष को को चेकिंग के दौरान करण गेट गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मोहसिना उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताय कि मैं अपने साथियों के साथ एनुल, नसीम, नौसाद , नागेन्द्र, मौसीना, आविद, रुखसार, सुमित्रा , सितारा के साथ मिल कर बच्चो चोरी की घटना कारित करते थे, जिन्हे बच्चों की जरूरत होती उनको उचित दामों में बच्चों को दे देते थे और जो रुपये मिलते थे आपस में बांट लेते थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहसिना पत्नी नफीश उम्र 36 वर्ष निवासी रायजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 36 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त मोहसिना के विरुद्ध थान टीलामोड़ पर उक्त 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड/इंटरनेशनल सेक्सटॉर्शन की घटना का अनावरण करते हुए व अकाउन्ट खरीदकर उसमें साइबर फ्रॉड कर भारत के विभिन्न राज्यों से फ्रॉड करके लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अन्तर्राज्जीय गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार । अभियुक्तगण के द्वारा अब तक 6 करोड़ 58 लाख रुपये का साइबर फ्रॉड किया गया ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद साइबर फ्रॉड/इंटरनेशनल सेक्सटॉर्शन की घटना का अनावरण करते हुए व अकाउन्ट खरीदकर उसमें साइबर फ्रॉड कर भारत के विभिन्न राज्यों से फ्रॉड करके लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अन्तर्राज्तीय गिरोह के 04 सदस्यों 1. मो0 फैसल, 2. मो0 अमान त्यागी, 3. मो0 हम्माद व 4. मो0 फैजान को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 04 अकाउन्ट किट कार्ड, 05 सिम कार्ड, 2600 रुपये नगद बरामद किये गये हैं।

घटनाक्रम:- अभियुक्तगण द्वारा कनाडा के एनआरआई के साथ फ़ैसबुक मैसेन्जर के माध्यम से फ़ैसबुक पर नवप्रीत कौर महिला के नाम की फ़ैक फ़ैसबुक आई-डी बनाकर वीडियो कॉलिंग कर व वीडियो रिकॉर्ड कर सेक्सटॉर्शन AI वीडियो बनाकर लगातार ब्लैक-मेल कर 50 हजार डॉलर की मांग की जा रही थी तथा रुपये न देने पर सेक्सटॉर्शन की AI वीडियो को वायरल करने की लगातार धमकी दी जा रही थी तथा अवैध धन के लिए एकाउन्ट नम्बर साइबर गैंग के द्वारा शेयर किया गया था जो एकाउन्ट नम्बर गाजियाबाद के आर0डी0सी0 की एक बैंक शाखा में संचालित हो रहा था। जिसकी सूचना एनआरआई के द्वारा गाजियाबाद पुलिस को दी गयी। सूचना पर गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च को लगाया गया था।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि मो0 फैजल जो नूह मेवात का रहने वाला है। अपने अन्य साथी मारूफ, अमान त्यागी, मो0हम्माद निवासी मुजफ्फरनगर से अकाउन्ट खरीदते हैं। जिसके बाद हम सभी लोग व्हाट्स पर एक ग्रुप बनाकर सभी खातों की डिटेल्स ग्रुप पर डालते हैं। हम लोग देश व विदेशों में रह रहे लोगों से सेक्सटॉर्शन की AI वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैक-मेल कर साइबर फ़्राड कर उनसे रूपयों की मांग करते हैं। न देने पर सेक्सटॉर्शन की AI वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। उनसे रुपये डलवाकर तुरन्त ही हम लोगों द्वारा उन रूपयों को निकाल लिया जाता है तथा हम सभी गैंग के सदस्य आपस में रूपया बांट लेते हैं तथा खाताधारक को खाता लेते समय 15000 रुपये देते हैं। हमारे द्वारा खरीदे गये खातों में से जिस भी खाते पर ज्यादा शिकायतें आती हैं। हम लोग उस खाते का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग सभी खाताधारकों के खातों की जानकारी अपनी व्हाट्स चैट पर सुरक्षित रखते हैं। AI वीडियो सेक्सटॉर्शन के माध्यम से हम लोगों को ब्लैक-मेल कर मोटी रकम खातों में डलवाते हैं व हम लोग शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर डेल्टा एल्बो ऐप के माध्यम से ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करते हैं। जिनके साक्ष्य भी गिरफ्तार अभियुक्तगणों के मोबाइल फोन में उपलब्ध हैं तथा कनाडा के एनआरआई से AI वीडियो सेक्सटॉर्शन का भी साक्ष्य गिरफ्तार अभियुक्तगणों के मोबाइल फोन में उपलब्ध है।

उक्त गैंग वर्ष 2023 से एक्टिव है। जिनके द्वारा अब तक कुल 6 करोड़ 58 लाख की ठगी भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के लोगों से की गयी है। जिसमें एनसीआरबी पोर्टल पर चेक करने पर दिल्ली एनसीआर सहित भारत वर्ष के अन्य राज्यों से कुल 40 शिकायतें दर्ज पायी गयी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही में क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद के द्वारा साइबर क्राइम थाना टीम को भी कार्यवाही में सम्मिलित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

1. मो0 फैसल पुत्र असगर निवासी मार्टन हाईस्कूल के पास पुन्हाना थाना पुन्हाना जनपद मेवात हरियाणा उम्र 21 वर्ष। शिक्षा-बी0कॉम जामिया मीलिया यूनीवर्सिटी दिल्ली

2. मो० अमान त्यागी पुत्र नदीम त्यागी निवासी म०नं० 60/2 ग्राम सरवट थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 25 वर्ष। शिक्षा-इण्टरमीडिएट
3. मो० हम्माद त्यागी पुत्र तंजीम त्यागी निवासी गली नं० 02, ग्राम सरवट थाना सिविल लाइन, जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 20 वर्ष। शिक्षा-इण्टरमीडिएट
4. मो० फैजान मलिक पुत्र इमरान निवासी मौ० सुभाष नगर ग्राम सरवट, थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 22 वर्ष। शिक्षा-इण्टरमीडिएट

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 मोबाइल फोन,
2. 04 अकाउन्ट किट कार्ड,
3. 05 सिम कार्ड,
4. 2600 रुपये नगद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. क्राइम ब्रान्च, गाजियाबाद।

थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा दिनांक 28.09.2026 को बस पर फायरिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी पिस्टल, 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक स्कूटी बरामद।

दिनांक 28.09.2026 को थाना मसूरी पर वादी श्री मौहम्मद आरिफ निवासी जगजीत नगर न्यू उस्मानपुर दिल्ली द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त अरसलान द्वारा अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 28.09.2026 को वादी के ड्राइवर शरीफुद्दीन व कन्डक्टर तालिब से पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से गोली चला देना जिसमें वादी के कन्डक्टर तालिब व उसके दोस्त कमरुद्दीन अंसारी को गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर मु०अ०स०- 329/26 धारा- 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 02.10.2026 को थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा पीडब्लूडी ऑफिस के पास चैकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर ने बताया कि दिनांक 28.09.2026 की रात्रि दिल्ली- बदायूं चलने वाली यात्री बस पर स्कूटी सवार दो बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण उसी स्कूटी पर सवार होकर हापुड की तरफ से भूडगढी बम्बा होकर किसी अन्य जगह जाने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा संयुक्त रूप से भूडगढी बम्बा पर संघनता के साथ चेकिंग करने लगे तभी कुछ देर बाद हापुड की तरफ से स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, पुलिस टीम द्वारा चेकिंग हेतु स्कूटी को टॉर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त ने स्कूटी मोड़कर तेज गति से चलाकर भूडगढी बम्बे की पटरी से निर्माणाधीन फैक्ट्री की तरफ स्कूटी दौड़ा दी इस पर पुलिस टीम को शक हुआ कि ये दोनों

बदमाश हैं और स्कूटी सवार बदमाशों का पीछा करने लगे स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी से स्वयं को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी जिसमें पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ अपने बचाव में जवाबी कार्यवाही की गई जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गयी तथा पुलिस टीम ने आवश्यक बल प्रयोग करके मौके से पकड़ लिया तथा दूसरे व्यक्ति को काम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा तो घायल व्यक्ति ने अपना नाम अनस पुत्र चांद निवासी तीसरा पुस्ता जगजीत नगर थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक पिस्टल मय मैग्जीन .32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 2. नदीम पुत्र अनीस अंशारी निवासी न्यू मुस्तफाबाद नेहरु विहार थाना दयालपुर दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 01 तमंचा देशी .315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कारतूस फंसा हुआ व 01 जिन्दा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त स्कूटी बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। घायल बदमाश अनस को अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्त गणों ने बताया कि हम दोनों आस-पास दिल्ली में रहते हैं, कक्षा 09 तक पढ़े लिखे हैं, आपस में दोस्त हैं। दिल्ली निवासी वासिद हमारा बॉस है, हम उसकी गैंग के सदस्य हैं। हमारी आरिफ उर्फ मूशा के साथ करीब 3-4 साल से रंजिश चली आ रही है, आरिफ उर्फ मूशा ने एक बार अनस को फर्जी मुकदमे में दिल्ली से जेल भिजवाया था व उसके पिता की गिरेवान पकड़ कर काफी बेज्जती की थी। अभी चार दिन पहले अरसलान का आरिफ उर्फ मूशा की बस के कंडक्टर से झगडा हो गया था जिसमें आरिफ उर्फ मूशा ने दिल्ली पुलिस में पैसे छीनने की अनस के विरुद्ध दिल्ली थाने में शिकायत की थी। अनस ने अपने बॉस वासिद को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया था। बॉस वासिद ने हमारे व अरसलान, टफी उर्फ टॉफी के साथ योजना बनाकर हम दोनों दोस्तों को अवैध पिस्टल व तमंचा कारतूस एवं बिना नम्बर की स्कूटी उपलब्ध कराई और बताया था कि आरिफ उर्फ मूसा प्रतिदिन अपनी बस में बैठकर कही जाता है जहां मौका मिले गोली मार देना। दिनांक 28.09.2026 को पुस्ता-2 दिल्ली से चलती हुई बस की रेकी करते हुए आ रहे थे हमें कहीं सुनसान जगह नहीं मिली इसलिए हम आगे बढ़ते रहे, हमें सुनसान जगह पर फायरिंग करनी थी लेकिन हमारी स्कूटी का तेल खत्म होने वाला था इसलिए हमने जहां थोड़ा सुनसान दिखा वही पर फायरिंग कर दी हमें ये नहीं पता था कि ये गाजियाबाद का क्षेत्र है, हमने ऊंची – ऊंची बिल्डिंग देखी और सोचा कि अपना क्षेत्र दिल्ली है जैसे ही बस धीमें हुई, अनस ने पिस्टल से यात्री बस पर फायरिंग की जिसमें 02 व्यक्तियों के गोली लग गयी, हमें पता चला कि हमें पुलिस तलाश कर रही है हम बचने के लिए हापुड भाग गये थे आज रात में चोरी-छिपे वापस आ रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अनस पुत्र चांद निवासी तीसरा पुस्ता जगजीत नगर थाना न्यू उस्मानपुर दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष
2. नदीम पुत्र अनीस अंशारी निवासी न्यू मुस्तफाबाद नेहरु विहार थाना दयालपुर दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से 01 देशी पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व एक सफेद रंग की स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण जोन ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा नाबालिग बालिका को चेन्नई तमिलनाडु से सकुशल बरामद किया गया ।

कार्यवाही का विवरण:- थाना शालीमार गार्डन पर वादी अजय कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत निवासी सी-36, पप्पू कालोनी गली नं० 3 शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मेरी नाबालिग पुत्री घर से बताकर दवाई लेने गई थी । हमने अपनी पुत्री का बहुत इन्तजार किया लेकिन घर वापस नहीं आई । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग बालिका की सकुशल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 01.10.2026 को गुमशुदा नाबालिग बालिका को म०न० 24 सिटी माधवरम थाना माधवरम चेन्नई तमिलनाडु से सकुशल बरामद किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी का विवरण:-

गुमशुदा नाबालिग बालिका को चेन्नई तमिलनाडु से सकुशल बरामद ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा सदोष मानव वध में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी आदिल मलिक निवासी मदरसे के पास सुधीर एन्कलेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्त 1. गुड्डी (सास) 2. महक (साली) 3. समीर(साला) व अन्य व्यक्ति द्वारा वादी व वादी की माँ के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट करना तथा वादी की माँ को उपचार हेतु अस्पताल ले जाना जहाँ डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर सुसंगत धारा-105/115(2)/ 351(3)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 02.10.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. गुड्डी पत्नी रिजवान 2. महक पुत्री रिजवान निवासीगण पानी की टंकी के पास आसियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद को खानपुर मोड़ रामपार्क से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त गुड्डी ने पूछने पर बताया कि मैं रिश्ते में आदिल की सास लगती हूँ । मेरी बड़ी बेटी का निकाह आदिल मलिक के साथ हुआ है । मेरी बड़ी बेटी के ससुरालीजन बेटी को काफी परेशान कर रहे थे । अपनी बेटी के ससुरालीजन को समझाने हेतु मैं दिनांक 01.10.2026 को अपनी छोटी बेटी महक व बेटे समीर को लेकर अपनी बड़ी बेटी के ससुराल में आयी थी वहाँ पर हम लोगों व आदिल के परिवार के बीच में

आपसी पारिवारिक बातों को लेकर कहासुनी व लड़ाई झगड़ा होने लगा जिस कारण आदिल की माता श्रीमती बीबी को चोट लग गयी तथा उनकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. गुड्डी पत्नी रिजवान निवासी पानी की टंकी के पास आसियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 40 वर्ष
2. महक पुत्री रिजवान निवासी पानी की टंकी के पास आसियाना सिटी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना ट्रानिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 02.10.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. अनस पुत्र अनीस निवासी अशोक विहार, थाना लोनी गाजियाबाद व 2. अरमान पुत्र आस मोहम्मद निवासी अशोक विहार, थाना लोनी गाजियाबाद को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी मोटरसाइकिल बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना खजूरी खास दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनों नशे के आदी है। हम दोनों मिलकर दिल्ली से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देते हैं और पैसे कमाकर अपने नशे संबंधी शौक पूरे करते हैं। हमने यह मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की थी। हम इसे बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. अनस पुत्र अनीस निवासी अशोक विहार, थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष
2. अरमान पुत्र आस मोहम्मद निवासी अशोक विहार, थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 18 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूर्व में थाना खजूरी दिल्ली पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

